

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 783/2024

अनवान : -

1- महेन्द्र सिंह पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

— वादी

बनाम

- 1- घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 2- परमेश्वरी पुत्री बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 3- चावली पुत्री बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 4- कालुराम पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 5- हीराराम पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 6- गौरीशंकर पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 7- बिमला पुत्री पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 8- रामदेई पुत्री पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 9- कालुराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 10- भूराराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 11- रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 12- परमेश्वरी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 13- भालाराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 14- विद्या देवी पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 15- मंजू देवी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 16- शीलो पत्नी गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 17- सुखदेव पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 18- अजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 19- प्रमीला पुत्री गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 20- कौशल्या पुत्री गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 21- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89,

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/09/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 258/211 के कुल खसरे 51 की कुल तादादी 11.6380 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक का 19397/5237100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का 19397/581900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 प्रत्येक का 19397/2909500 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 प्रत्येक का 19397/2909500 हिस्सा एवं खाता संख्या 299/248 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में वादी व


उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक का 1/75 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का 3/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 प्रत्येक का 3/125 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 प्रत्येक का 1/375 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो कि वादी की मृतक बुआ पाना के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 व 20 जो कि प्रतिवादी संख्या 16 की पुत्रिया व 17, 18 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपनो जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 व 19, 20 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 20 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 21 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र ईशराम, पाना, गुलाब सिंह आदि पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

01

अध्यक्ष अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो कि वादी की मृतक बुआ पाना के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 व 20 जो कि प्रतिवादी संख्या 16 की पुत्रिया व 17, 18 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपनो जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 व 19, 20 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 258/211 के कुल खसरे 51 की कुल तादादी 11.6380 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक का 19397/5237100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का 19397/581900 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 प्रत्येक का 19397/2909500 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 प्रत्येक का 19397/26185500 हिस्सा एवं खाता संख्या 299/248 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक का 1/75 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का 3/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 प्रत्येक का 3/125 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 प्रत्येक का 1/375 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो कि वादी की मृतक बुआ

पाना के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 19 व 20 जो कि प्रतिवादी संख्या 16 की पुत्रिया व 17, 18 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपनो जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 व 19, 20 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 258/211 के कुल खसरे 51 की कुल तादादी 11.6380 है० भूमि एवं खाता संख्या 299/248 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक के 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 को संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 19, 20 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 18 का नाम अजय की बजाये अजय कुमार दुरुस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल को गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 783/2024

अनवान : -

1- महेन्द्र सिंह पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

— वादी

बनाम

- 1- घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 2- परमेश्वरी पुत्री बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 3- चावली पुत्री बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 4- कालुराम पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 5- हीराराम पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 6- गौरीशंकर पुत्र पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 7- बिमला पुत्री पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 8- रामदेई पुत्री पाना जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 9- कालुराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 10- भूराराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 11- रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 12- परमेश्वरी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 13- भालाराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
- 14- विद्या देवी पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 15- मंजू देवी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 16- शीलो पत्नी गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 17- सुखदेव पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 18- अजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 19- प्रमीला पुत्री गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 20- कौशल्या पुत्री गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
- 21- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 258/211 के कुल खसरे 51 की कुल तादादी 11.6380 है० भूमि एवं खाता संख्या 299/248 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 प्रत्येक के 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 को संयुक्त रूप से 1/18


al

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

हिस्सा भूमि के खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 19, 20 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा दोनो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 18 का नाम अजय की बजाये अजय कुमार दुरुस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गंढवाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर